



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 8, 2011/पौष 18, 1932
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 8, 2011/PAUSA 18, 1932

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2011

New Delhi, the 8th January, 2011

का.आ. 30(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 1 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार बीस या अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रही निम्नलिखित स्थापनाओं को ऐसे स्थापनाओं के वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिन पर उक्त अधिनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा, यथा :-

S.O. 30(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby specifies the following establishments employing twenty or more persons as the class of establishments to which the said Act shall apply, with effect from the date of publications of this notification in the Official Gazette, namely :—

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (1) के उप-खण्ड (ख) और (ग) के अंतर्गत गठित नगर परिषद और नगर निगम।”

“Municipal Councils and Municipal Corporations constituted under sub-clauses (b) and (c) of clause (1) of article 243Q of the Constitution of India.”

[फा. सं. एस-35012/04/08-एस.एस.-II]

[F. No. S-35012/04/08. SS-II]

एस. के. देव वर्मन, संयुक्त सचिव

S.K. DEV VERMAN, Jt. Secy.